

प्रति,

- १) विभागीय कृषि सह संचालक,
नाशिक नागपूर/अमरावती/लातूर/औरंगाबाद/पुणे/
- २) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,
धुळे/जळगाव/अहमदनगर/औरंगाबाद/जालना/बीड/नांदेड/परभणी/ बुलढाणा/
अकोला/ अमरावती/ वाशीम/ यवतमाळ/वर्धा/ नागपूर/चंद्रपूर

विषय : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके अंतर्गत कापूस विकास कार्यक्रम
सन २०२१-२२ च्या अंमलबजावणीबाबत ...

- संदर्भ : १. केंद्र शासनाच्या Re-vamped NFSM Operational Guidelines २०१८-१९ to २०१९-२०
 २. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. File No. २-९/२०२०-सीयु/चार, दि. १४/०६/२०२१
 ३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.कृआ/नपि/विप्र३/कृप/राअसुअ-मासु/कापूस/२६६/१९,
 दि. २१/०६/२०१९
 ४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र. क्र. २२१/ १४-अ,
 दि. ०४/११/२०२०
 ५. शासन निर्णय क्रमांक राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३९/४- अ, मंत्रालय, मुंबई, दि. २२/०६/२०२१

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके अंतर्गत कापूस विकास कार्यक्रमासाठी मंजूरी दिली आहे. सदर कार्यक्रमासाठी अर्थसहाय्याचे प्रमाण केंद्र व राज्य ६०:४० टक्के राहणार असल्याचे कळविले आहे. राज्य शासनाने संदर्भ क्र. ५ अन्वये केंद्र हिस्सा रु. २८०.०० लाख व राज्य हिस्सा रु. १८७.०० लाख असा एकूण रु. ४६७.०० लाखाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे.

जिल्हानिहाय, बाबनिहाय कार्यक्रम परिशिष्ट क्र. १ मध्ये व जिल्हानिहाय मंजूर कार्यक्रम परिशिष्ट क्र. २ मध्ये सोबत सहपत्रीत केला आहे. केंद्र शासनाच्या Re-vamped NFSM Operational Guidelines व संदर्भ क्र. ३ नुसार सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके अंतर्गत कापूस विकास कार्यक्रम राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यामध्ये घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून सदर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी. सन २०१९-२० च्या मार्गदर्शक सूचना कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर (<http://www.krishi.maharashtra.gov.in>) उपलब्ध आहेत.

कृषि विभागांच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्याबाबत संदर्भाकित शासन निर्णय दि. ०४/११/२०२० नुसार पीक प्रात्यक्षिके व कृषि यांत्रिकीकरण या बाबींची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

१. पीक प्रात्यक्षिकाकरिता सन २०१९-२० च्या मार्गदर्शक सुचनांन्वये व महा-डीबीटी प्रणालीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. तसेच प्रात्यक्षिके भेटीचा तपशील (प्रपत्र १अ, १ब, १क) व पीक प्रात्यक्षिकांतील तालुकानिहाय उत्पादकता अहवाल (प्रपत्र-१) याबाबतचे अभिलेख आपले स्तरावर जतन करून विहित प्रपत्रात अहवाल आयुक्तालयास सादर करावेत. पीक प्रात्यक्षिकांचे १०० टक्के जिओ टॅगींग (Geo Tagging) करण्यात यावे याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी सनियंत्रण करावे.

केंद्र शासनाच्या Revamped मार्गदर्शक सुचनां मधील मुद्दा क्रमांक १०.४ अन्वये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व राज्यातील कृषि विद्यापिठे हे बि.टी. कापूस बियाणे तयार करतात. हे बियाणे शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर आहे. म्हणून भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व राज्यातील कृषि विद्यापिठे यांनी तयार केलेल्या मान्यताप्राप्त बि.टी. कापसाचे संकरित वाण एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (आयसीएम) व आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके -आंतरपिके (कापूस पिकात मुग/उडिद) प्रात्यक्षिकांमध्ये वापरता येऊ शकतील. तसेच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व राज्यातील कृषि विद्यापिठे यांनी तयार केलेल्या मान्यताप्राप्त बि.टी. कापसाचे सुधारीत सरळ वाण कापसाच्या अतिघन लागवड पध्दतीच्या प्रात्यक्षिकांमध्ये वापरता येऊ शकतील.

२. आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (देशी व अती लांब धाग्याच्या कापसाचे बिजोत्पादन) - या बाबीकरिता मुद्दा क्र.२ नुसार कार्यवाही करावी. सदर घटकासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, परभणी व अकोला यांनी अनुक्रमे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांना आर्थिक मर्यादेत अनुदान अदा करावे.
३. पीक संरक्षण औषधी व बायो-एजंटचे वितरण या बाबीकरिता मुद्दा क्र.५ नुसार कार्यवाही करावी.
४. मनुष्य बळ विकास कार्यक्रम (राज्यस्तरीय प्रशिक्षण) या बाबीकरिता मुद्दा क्र.६ नुसार कार्यवाही करावी.
५. कॉटन श्रेडरचे वाटप या बाबीकरिता सन २०१९-२० च्या मा.सू. मधील मुद्दा क्र.७ (ब) नुसार तसेच महाडीबीटी प्रणालीच्या शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करावी.
६. अभियान अंमलबजावणीसाठी तपासणी सन २०१९-२० च्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विविध स्तरावर खर्चाच्या टक्केवारीनुसार तपासणीची कार्यवाही पूर्ण करावी.

तपासणीच्या टक्केवारीचे प्रपत्र

| अ.क्र. | स्तर | टक्केवारी |
|--------|-------------------------------|-----------|
| १ | विभागीय कृषि सह संचालक | ०.५ |
| २ | जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी | १ |
| ३ | उप विभागीय कृषि अधिकारी | ५ |
| ४ | तालुका कृषि अधिकारी | २५ |
| ५ | मंडल कृषि अधिकारी | ५० |
| ६ | कृषि पर्यवेक्षक/ कृषि सहाय्यक | १०० |

७. अभियानाचे सनियंत्रण व मूल्यमापन -

- निवडलेल्या लाभार्थ्यांची प्रवर्गनिहाय माहिती केंद्र शासनाच्या <http://www.nfsm.gov.in> या वेबसाईटवर तसेच कृषि विभागाच्या MIS मध्ये ऑनलाईन वेळेत भरण्याची जबाबदारी जिल्हा कार्यालयाची राहिल.
- मासिक प्रगतीचा अहवाल आयुक्तालयाने विहित केलेल्या प्रपत्रात प्रवर्गनिहाय दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करावा.
- निधी प्राप्त झाल्यापासुन १५ दिवसात घटकनिहाय, प्रवर्गनिहाय लाभार्थी यादी संकेत स्थळावर भरणे बंधनकारक राहिल.
- सदर कार्यक्रमांतर्गत गावनिहाय वाटप केलेल्या निविष्ठा, प्रात्यक्षिके व इतर दिलेले लाभ याबाबतची माहिती लाभार्थ्यांच्या यादीसह ग्रामपंचायतीकडे पाठवून सदरील माहिती ग्रामसभेत जाहीर करावी.
- सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविलेल्या सर्व घटकांमुळे प्रकल्प क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादकतेवर दिसून आलेल्या परिणामांचे मूल्यमापन करून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल उपविभागीय कृषि अधिकारी यांनी हंगामाच्या अखेरीस सादर करावा.
- सदर कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांनी/गटांनी उत्कृष्टपणे राबविलेल्या कार्यक्रमाच्या यशोगाथा छापील/ डिजिटल स्वरूपात तयार करून आयुक्तालयास सादर कराव्यात.
- जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी तालुकानिहाय लक्षांक निर्धारित करून क्षेत्रिय स्तरावर सदर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी.

केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांन्वये State Food Security Mission Executive Committee (SFSMEC) यांना मंजुर कार्यक्रमाच्या २०% बाब बदलाचे अधिकार आहेत. सदर समितीच्या मान्यतेनंतर जिल्हानिहाय प्रस्तावित केलेले बाब बदल करण्यात येतील.

सोबत - वरीलप्रमाणे

(विकास पाटील)

अभियान संचालक (राअसुअ) तथा
कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण)
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रत-

१. मा. सचिव (कृषि), मंत्रालय, मुंबई ३२, यांना माहितीस्तव सविनय सादर.
२. मा. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि उद्योग विकास महामंडळ, राजन हाऊस, तिसरा मजला, प्रभादेवी, मुंबई-६५
३. मा. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ महाबीज, कृषिनगर अकोला
४. मा. जिल्हाधिकारी, धुळे/जळगाव/अहमदनगर/औरंगाबाद/जालना/बीड/नांदेड/परभणी/बुलढाणा/ अकोला/ अमरावती/ वाशीम/ यवतमाळ/वर्धा/ नागपूर/चंद्रपूर
५. मा.संचालक, कापूस निदेशनालय, डी.ओ.सी.डी. नागपूर
६. संचालक, निविष्टा व गुणनियंत्रण, कृषि आयुक्तालय, पुणे
७. संचालक, कृषि नियोजन व प्रक्रिया, कृषि आयुक्तालय, पुणे
८. संशोधन संचालक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा-अहमदनगर.
९. संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला.
- १०.संशोधन संचालक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी
- ११.विभागीय व्यवस्थापक, राष्ट्रीय बीज निगम, मार्केट यार्ड, पुणे.
- १२.कृषि उपसंचालक, मा. आयुक्त कृषि कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१३. कक्ष अधिकारी, ४-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२

| अ.क्र. | | जिल्हा | सर्वसाधारण क्षेत्र ("००" हे.) | आदर्शिय प्रात्यक्षिके (देशी व अति लांब धार्याच्या कापूस विजातपादन) (रु. १००० प्रति हे) | | आदर्शिय आंतरपिके प्रात्यक्षिके (कापूस पिकाल - मुग, उडीद) (रु. ८००० प्रति हे) | | कापसाच्या सरळ वाणावी अतीघन लागवड फटतीची प्रात्यक्षिके (रु. १०००० प्रति हे) | | एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (आयसीएम) प्रात्यक्षिके (रु. ८००० प्रति हे) | | पीक संरक्षण औषधे व बायो-एजंट्स चे वितरण (रु. ५००० प्रति हे) | | राज्यस्तरीय अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण (रु. ४०००० प्रति प्रशिक्षण) | | काँटन श्रेडरचे वाटप | | | | एकूण आर्थिक लक्षांक | |
|----------------|----------|--------|-------------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|---|--------|--|--------|---------------------|--------|-------|--------|---------------------|--------------------|
| | | | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | | श्रेडर-एकूण आर्थिक |
| १ | धुळे | | २२३९ | ० | ०.०० | ४० | ३.२० | ४० | ४.०० | २० | १.६ | १५०० | ७.५० | ० | ०.०० | २ | २.०० | ३ | २.४० | ४.४० | २०.७० |
| २ | जळगाव | | ४९३७ | ० | ०.०० | ६० | ४.८० | ८० | ८.०० | २० | १.६ | ५८०० | २९.०० | ० | ०.०० | ४ | ४.०० | ५ | ४.०० | ८.०० | ५१.४० |
| नाशिक विभाग | | | ७१७६ | ० | ०.०० | १०० | ८.०० | १२० | १२.०० | ४० | ३.२ | ७३०० | ३६.५० | ० | ०.०० | ६ | ६.०० | ८ | ६.४० | १२.४० | ७२.१० |
| ३ | अहमदनगर | | ११४४ | ० | ०.०० | २० | १.६० | २० | २.०० | २० | १.६ | ९६० | ४.८० | १ | ०.४० | २ | २.०० | २ | १.६० | ३.६० | १४.०० |
| पुणे विभाग | | | ११४४ | ० | ०.०० | २० | १.६० | २० | २.०० | २० | १.६ | ९६० | ४.८० | १ | ०.४० | २ | २.०० | २ | १.६० | ३.६० | १४.०० |
| ४ | औरंगाबाद | | ३९४३ | ० | ०.०० | ४० | ३.२० | ६० | ६.०० | २० | १.६ | ३३०० | १६.५० | ० | ०.०० | ४ | ४.०० | ५ | ४.०० | ८.०० | ३५.३० |
| ५ | जालना | | २९०२ | ० | ०.०० | ४० | ३.२० | ४० | ४.०० | २० | १.६ | २४०० | १२.०० | ० | ०.०० | ३ | ३.०० | ४ | ३.२० | ६.२० | २७.०० |
| ६ | बीड | | ३५७६ | ० | ०.०० | ४० | ३.२० | ४० | ४.०० | २० | १.६ | २८०० | १४.०० | ० | ०.०० | ३ | ३.०० | ५ | ४.०० | ७.०० | २९.८० |
| औरंगाबाद विभाग | | | १०४२५ | ० | ०.०० | १२० | ९.६० | १४० | १४.०० | ६० | ४.८ | ८५०० | ४२.५० | ० | ०.०० | १० | १०.०० | १४ | ११.२० | २१.२० | ९२.१० |
| ७ | नांदेड | | २६०५ | ० | ०.०० | ४० | ३.२० | ६० | ६.०० | २० | १.६ | २७०० | १३.५० | १ | ०.४० | ४ | ४.०० | ५ | ४.०० | ८.०० | ३२.७० |
| ८ | परभणी | | १८५७ | १० | ०.९० | ४० | ३.२० | ४० | ४.०० | २० | १.६ | २१०० | १०.५० | ० | ०.०० | ३ | ३.०० | ३ | २.४० | ५.४० | २५.६० |
| लातूर विभाग | | | ४४६२ | ० | ०.०० | ८० | ६.४० | १०० | १०.०० | ४० | ३.२ | ४८०० | २४.०० | १ | ०.४० | ७ | ७.०० | ८ | ६.४० | १३.४० | ५८.३० |
| ९ | बुलढाणा | | १६८९ | ० | ०.०० | ४० | ३.२० | ६० | ६.०० | २० | १.६ | २००० | १०.०० | ० | ०.०० | ४ | ४.०० | ४ | ३.२० | ७.२० | २८.०० |
| १० | अकोला | | १५५७ | २० | १.८० | ४० | ३.२० | ६० | ६.०० | २० | १.६ | १५०० | ७.५० | १ | ०.४० | ३ | ३.०० | ३ | २.४० | ५.४० | २५.९० |
| ११ | वाशिम | | १९२ | ० | ०.०० | २० | १.६० | २० | २.०० | २० | १.६ | ६०० | ३.०० | ० | ०.०० | २ | २.०० | २ | १.६० | ३.६० | ११.८० |
| १२ | अमरावती | | २०९४ | ० | ०.०० | ४० | ३.२० | १०० | १०.०० | २० | १.६ | २००० | १०.०० | ० | ०.०० | ३ | ३.०० | ४ | ३.२० | ६.२० | ३१.०० |
| १३ | यवतमाळ | | ४४०८ | ० | ०.०० | ६० | ४.८० | ८० | ८.०० | २० | १.६ | ५८०० | २९.०० | ० | ०.०० | ४ | ४.०० | ५ | ४.०० | ८.०० | ५१.४० |
| अमरावती विभाग | | | ९९४० | ३० | २.७० | २०० | १६.०० | ३२० | ३२.०० | १०० | ८ | ११९०० | ५९.५० | १ | ०.४० | १६ | १६.०० | १८ | १४.४० | ३०.४० | १४८.१० |
| १४ | वर्धा | | २३३५ | ० | ०.०० | ४० | ३.२० | १०० | १०.०० | २० | १.६ | २००० | १०.०० | ० | ०.०० | ३ | ३.०० | ३ | २.४० | ५.४० | ३०.२० |
| १५ | नागपूर | | २०९२ | ० | ०.०० | ४० | ३.२० | १०० | १०.०० | २० | १.६ | २००० | १०.०० | ० | ०.०० | ३ | ३.०० | ३ | २.४० | ५.४० | ३०.२० |
| १६ | चंद्रपूर | | १६०६ | ० | ०.०० | ४० | ३.२० | ६० | ६.०० | २० | १.६ | १००० | ५.०० | ० | ०.०० | ३ | ३.०० | ४ | ३.२० | ६.२० | २२.०० |
| नागपूर विभाग | | | ६०२९ | ० | ०.०० | १२० | ९.६० | २६० | २६.०० | ६० | ४.८ | ५००० | २५.०० | ० | ०.०० | ९ | ९.०० | १० | ८.०० | १७.०० | ८२.४० |
| एकूण एकंदर | | | ३९१७२ | ३० | २.७० | ६४० | ५१.२० | ९६० | ९६.०० | ३२० | २५.६० | ३८४६० | १९२.३० | ३ | १.२० | ५० | ५०.०० | ६० | ४८.०० | ९८.०० | ४६७.०० |

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके कापूस विकास कार्यक्रम २०२१-२२ जिल्हानिहाय भौतिक व आर्थिक लक्षांक

(एककम रु. लाखात)

परिशिष्ट-२

रा.अ.सु.अ.अभियानांतर्गत कापूस विकास कार्यक्रम मंजूर कार्यक्रम (रक्कम रु. लाखात)

| अ.क्र. | जिल्हा/विभाग | केंद्र ६० टक्के | | | | | | राज्य हिस्सा ४० टक्के | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------------|----------|-----------|---------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|
| | | सर्वसाधारण | अनु.जाती | अनु.जमाती | दिव्यांग (PH) | एकूण केंद्र हिस्सा | सर्वसाधारण | अनु.जाती | अनु.जमाती | दिव्यांग (PH) | एकूण राज्य हिस्सा | सर्वसाधारण | अनु.जाती | अनु.जमाती | दिव्यांग (PH) | एकूण एकंदर |
| १ | धुळे | ८.८२ | १.९९ | ०.९९ | ०.६२ | १२.४२ | ५.८८ | १.३२ | ०.६६ | ०.४१ | ८.२८ | १४.६९७ | ३.३१२ | १.६५६ | १.०३५ | २०.७०० |
| २ | जळगाव | २१.९० | ४.९३ | २.४७ | १.५४ | ३०.८४ | १४.६० | ३.२९ | १.६४ | १.०३ | २०.५६ | ३६.४९४ | ८.२२४ | ४.११२ | २.५७० | ५१.४०० |
| | नाशिक विभाग | ३०.७१ | ६.९२ | ३.४६ | २.१६ | ४३.२६ | २०.४८ | ४.६१ | २.३१ | १.४४ | २८.८४ | ५१.१९१ | ११.५३६ | ५.७६८ | ३.६०५ | ७२.१०० |
| ३ | अहमदनगर | ५.९६ | १.३४ | ०.६७ | ०.४२ | ८.४० | ३.९८ | ०.९० | ०.४५ | ०.२८ | ५.६० | ९.९४० | २.२४० | १.१२० | ०.७०० | १४.००० |
| | पुणे विभाग | ५.९६ | १.३४ | ०.६७ | ०.४२ | ८.४० | ३.९८ | ०.९० | ०.४५ | ०.२८ | ५.६० | ९.९४० | २.२४० | १.१२० | ०.७०० | १४.००० |
| ४ | औरंगाबाद | १५.०४ | ३.४९ | १.६९ | १.०६ | २०.९८ | १०.०३ | २.४६ | १.१३ | ०.७१ | १४.३२ | २५.०६३ | ५.६४८ | २.८२४ | १.७६५ | ३५.३०० |
| ५ | जालना | ११.५० | २.५९ | १.३० | ०.८१ | १६.२० | ७.६७ | १.७३ | ०.८६ | ०.५४ | १०.८० | १९.१७० | ४.३२० | २.१६० | १.३५० | २७.००० |
| ६ | बीड | १२.६९ | २.८६ | १.४३ | ०.८९ | १७.८८ | ८.४६ | १.९१ | ०.९५ | ०.६० | ११.९२ | २१.१५८ | ४.७६८ | २.३८४ | १.४९० | २९.६०० |
| | औरंगाबाद विभाग | ३९.२३ | ८.६४ | ४.४२ | २.७६ | ५५.०६ | २६.१६ | ६.०९ | २.९५ | १.८४ | ३७.०४ | ६५.३९१ | १४.७३६ | ७.३६८ | ९२.१०० | |
| ७ | नांदेड | १३.९३ | ३.१४ | १.५७ | ०.९८ | १९.६२ | ९.२९ | २.०९ | १.०५ | ०.६५ | १३.०८ | २३.३१७ | ५.३३२ | २.६१६ | १.६३५ | ३२.७०० |
| ८ | परभणी | १०.९१ | २.४६ | १.२३ | ०.७७ | १५.३६ | ७.२० | १.६४ | ०.८२ | ०.५१ | १०.२४ | १८.१७६ | ४.०९६ | २.०४८ | १.२८० | २५.६०० |
| | लातूर विभाग | २४.८४ | ५.६० | २.८० | १.७५ | ३४.९८ | १६.५६ | ३.७३ | १.८७ | १.१७ | २३.३२ | ४१.३९३ | ९.३२८ | ४.६६४ | २.९१५ | ५८.३०० |
| ९ | बुलढाणा | ११.९३ | २.६९ | १.३४ | ०.८४ | १६.८० | ७.९५ | १.७९ | ०.९० | ०.५६ | ११.२० | १९.८८० | ४.४८० | २.२४० | १.४०० | २८.००० |
| १० | अकोला | ११.०३ | २.४९ | १.२४ | ०.७८ | १५.५४ | ७.३६ | १.६६ | ०.८३ | ०.५२ | १०.३६ | १८.३८९ | ४.१४४ | २.०७२ | १.२९५ | २५.९०० |
| ११ | वाशिम | ५.०३ | १.१३ | ०.५७ | ०.३५ | ७.०८ | ३.३५ | ०.७६ | ०.३८ | ०.२४ | ४.७२ | ८.३७८ | १.८८८ | ०.९४४ | ०.५९० | ११.८०० |
| १२ | अमरावती | १३.२१ | २.९८ | १.४९ | ०.९३ | १८.६० | ८.८० | १.९८ | ०.९९ | ०.६२ | १२.४० | २२.०१० | ४.९६० | २.४८० | १.५५० | ३१.००० |
| १३ | यवतमाळ | २१.९० | ४.९३ | २.४७ | १.५४ | ३०.८४ | १४.६० | ३.२९ | १.६४ | १.०३ | २०.५६ | ३६.४९४ | ८.२२४ | ४.११२ | २.५७० | ५१.४०० |
| | अमरावती विभाग | ६३.०९ | १४.२२ | ७.११ | ४.४४ | ८८.८६ | ४२.०६ | ९.४८ | ४.७४ | २.९६ | ५९.२४ | १०५.१५१ | २३.६९६ | ११.८८८ | ७.४०५ | १४८.१०० |
| १४ | वर्धा | १२.८७ | २.९० | १.४५ | ०.९१ | १८.१२ | ८.५८ | १.९३ | ०.९७ | ०.६० | १२.०८ | २१.४४२ | ४.८३२ | २.४१६ | १.५१० | ३०.२०० |
| १५ | नागपूर | १२.८७ | २.९० | १.४५ | ०.९१ | १८.१२ | ८.५८ | १.९३ | ०.९७ | ०.६० | १२.०८ | २१.४४२ | ४.८३२ | २.४१६ | १.५१० | ३०.२०० |
| १६ | चंद्रपूर | ९.३७ | २.११ | १.०६ | ०.६६ | १३.२० | ६.२५ | १.४१ | ०.७० | ०.४४ | ८.८० | १५.६२० | ३.५२० | १.७६० | १.१०० | २२.००० |
| | नागपूर विभाग | ३५.१० | ७.९१ | ३.९६ | २.४७ | ४९.४४ | २३.४० | ५.२७ | २.६४ | १.६५ | ३२.९६ | ५८.५०४ | १३.१८४ | ६.५९२ | ४.१२० | ८२.४०० |
| | एकूण | १९८.९४ | ४४.६३ | २२.४२ | १४.०१ | २८०.०० | १३३.६३ | ३०.०९ | १४.९४ | ९.३४ | १८७.०० | ३३१.५७० | ७४.७२० | ३७.३६० | २३.३५० | ४६७.००० |